



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70



ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in

दिनांक: 04/06/2025

सेवा मे,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लाट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा।
4. आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
5. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
6. उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा।

विषय: दिनांक 27/05/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 27/05/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्त



(किरण मोहन मोहाडीकर)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
3. विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
4. सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
5. कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा।
6. उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा।
8. कंप्यूटर सेक्शन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजेड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

: सूचनार्थ


उप विकास आयुक्त

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र**(दिनांक 27/05/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)**

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 27/05/2025 को सुबह 10:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. सुश्री अंजलि मीना, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग नौएडा।
4. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) विनय मलिक, मूल्यांकक सीमा शुल्क, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (iii) प्रमोद कुमार, आशुलिपिक-I, और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. **कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**

(1) दिनांक 13/05/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 13/05/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 13/05/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) बी एस बिक्रम ओवरसीज - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

2.1 इकाई के साझेदार श्री बलदेव सिंह अनुमोदन समिति की बैठक में उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

सुरेन्द्र मलिक 1

12/01/2019-Proj

I/93056/2025

2.2. अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई द्वारा प्रस्तुत सीए प्रमाण-पत्र में स्वदेशी खरीद के मूल्यों को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)नियम 53(डी) के अनुसार मूल्य संवर्धन की गणना के लिए निविष्टमें शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा 'वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) में कोई निवेश विवरण नहीं दिया जा रहा है और वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) को ऑनलाइन प्रणाली में भी दाखिल नहीं किया जा रहा है।

2.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई को निर्देश दिया कि वह संशोधित सीए प्रमाणित मूल्य संवर्धन विवरण प्रस्तुत करे, जिसमें कुल निविष्टमें स्वदेशी खरीद के मूल्य शामिल हों, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)नियम 53(डी) के अनुसार अपव्यय का मूल्य भी शामिल हो। इसके अलावा, इकाई को कार्यसूची नोट में उल्लिखित अन्य कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को इकाई से आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्राप्त होने पर फाइल पर स्वीकृति पत्र (LOA) नवीनीकरण के बारे में अंतिम निर्णय लेने और उसके बाद अनुमोदन समिति के समक्ष प्रदर्शन की निगरानी के लिए मामला रखने का अधिकार दिया।

(3) अर्दिति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 श्री रोहित कपूर, निदेशक और श्री भानु चटर्जी, इकाई के प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। पूछताछ पर, उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यापारिक वस्तुओं के संबंध में कोई घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री नहीं की गई है।

3.2. अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 'विनिर्माण' और 'व्यापार' के संबंध में अलग-अलग निवल विदेशी मुद्रा (NFE) गणना प्रस्तुत नहीं की थी।

3.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स अर्दिति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्वीकृति पत्र (LOA) को मौजूदा अनुमोदित अधिकृत संचालन के लिए छह महीने की छोटी अवधि यानी 09/12/2025 तक के लिए नवीनीकृत किया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई को सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित पांच वर्षों के दौरान 'विनिर्माण' और 'व्यापार' के संबंध में अलग-अलग निवल विदेशी मुद्रा (NFE) गणना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने निर्णय लिया कि 09/12/2025 से परे स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण की प्रक्रिया फाइल पर की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, समिति ने विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)के कार्यालय को इकाई से आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्राप्त होने पर फाइल पर अंतिम निर्णय लेने और तत्पश्चात अनुमोदन समिति के समक्ष निष्पादन की निगरानी के लिए मामला प्रस्तुत करने का अधिकार दिया।

(4) लिस्टर मोसेनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - कंपनी के निदेशक और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)योजना से बाहर निकलने का प्रस्ताव।

सुरेंद्र मलिक

4.1. इकाई के निदेशक श्री जय शंकर झा और प्रबंधक श्री राजन कुमार सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री जय शंकर झा ने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि वे प्लॉट संख्या 124 पर स्थित इकाई-I से बाहर निकलने और उक्त प्लॉट पर स्थित इमारत को किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित करने का इरादा रखते हैं। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने मेसर्स क्रॉफ्टन इंटरनेशनल एलएलपी के साथ गठजोड़ किया है और उक्त इकाई ने स्वीकृति पत्र (LOA) जारी करने के लिए आवेदन दायर किया है। उन्होंने आगे बताया कि वे प्लॉट संख्या 147, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) से इकाई-II का संचालन जारी रखेंगे।

4.2. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना से बाहर निकलने के लिए अपने आवेदन में इकाई ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों को स्थानांतरित करने के अपने इरादे का उल्लेख नहीं किया था। इसके बजाय, उन्होंने केवल इकाई-I से बाहर निकलने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि वे स्टॉक और कर्मचारियों को इकाई-II में स्थानांतरित करेंगे। इसके अलावा, समिति को सूचित किया गया कि नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स क्रॉफ्टन इंटरनेशनल एलएलपी का आवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ था और इसलिए अभी तक इसकी जांच नहीं की गई थी।

4.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, जोन से क्रमशः प्लॉट संख्या 124 और 147 से संचालित कंपनी की दोनों इकाइयों के संबंध में निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार कंपनी के निदेशक और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने ईएम डिवीजन, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में हस्तांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

4.4 इसके अलावा, इकाई के प्रतिनिधि द्वारा प्लॉट संख्या 124 से इकाई-I के बाहर निकलने के इरादे के बारे में दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए, परिसंपत्तियों और देनदारियों को अन्य इकाई को हस्तांतरित करने और स्वीकृति पत्र (LOA) जारी करने के लिए उक्त इकाई से आवेदन प्राप्त होने पर, अनुमोदन समिति ने विभिन्न विभागों से आवश्यक 'अदेयता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने और मौजूदा इकाई के बाहर निकलने में देरी से बचने के उद्देश्य से केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना से बाहर निकलने के लिए इकाई-I को सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया। इसके साथ ही, अनुमोदन समिति ने इकाई को आगे के विचार के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम, 74ए के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग को नई इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स क्रॉफ्टन इंटरनेशनल एलएलपी के प्रस्ताव को मेसर्स के प्रस्ताव के साथ रखने का निर्देश दिया। लिस्टर मोसेनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-I) को नियम 74ए के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए अपनी अगली बैठक से पहले आवेदन करना होगा। हालांकि यह इकाई से उचित आवेदन प्राप्त होने और उसकी जांच के अधीन होगा।

सुरेंद्र मलिक 3

(5) एवीवी मीडिया सर्विसेज एलएलपी - भागीदारों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन।

5.1. अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

5.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार एलएलपी के भागीदारों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को भविष्य में ऐसे परिवर्तनों को समय पर सूचित करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने संपदा प्रभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में हस्तांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

(6) कॉन्टिनेंटल हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड - कार्य निष्पादन की निगरानी।

6.1 अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि इकाई से अनुमोदन समिति बैठक में भाग लेने में असमर्थता के बारे में एक ईमेल प्राप्त हुआ है।

6.2. अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और तीसरे ब्लॉक (31.03.2024 तक) के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को ध्यान दिया।

6.2. अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और तीसरे ब्लॉक (31.03.2024 तक) के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने नोट किया कि 31.03.2024 तक कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त लंबित नहीं है। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने परियोजना अनुभाग को पिछले वर्षों में उनके निर्यात की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 (एसईजेडऑनलाइन डेटा के अनुसार) के दौरान निर्यात में कमी के संबंध में इकाई से कारण पूछने और सीए फर्म, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की टिप्पणियों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) प्राप्त करने का निर्देश दिया।

(7) इम्पेटस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (स्वीकृति पत्र (LOA) 15.02.2019) - प्रदर्शन की निगरानी।

7.1 अनुमोदन समिति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पहले ब्लॉक (31.03.2024 तक) के दौरान इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय को नोट किया। अनुमोदन समिति ने ध्यान दिया कि 31.03.2024 तक कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त लंबित नहीं थी।

सुरेंद्र मलिक

(8) गोज इंजीनियरिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) कस्टम्स द्वारा लगाई गई जॉबवर्क शर्तों का पालन न करना और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों और एफटीडीआर अधिनियम के तहत कार्रवाई की सिफारिश।

8.1. इकाई के प्रबंधक-वाणिज्यिक श्री सत्यपाल सिंह वर्मा ने अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित होकर मामले की जानकारी दी। उन्होंने अनुमोदन समिति को बताया कि अक्टूबर-दिसंबर, 2024 की एक तिमाही को छोड़कर सभी पिछली जॉबवर्क खेपों का नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) कस्टम्स के साथ मिलान कर लिया गया है।

8.2. अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई के प्रतिनिधि के बयान के अनुसार, इकाई ने अक्टूबर-दिसंबर, 2024 की अवधि के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के प्रासंगिक जॉब वर्क प्रावधानों की शर्तों और नियमों का उल्लंघन किया है और इस प्रकार ऐसे उल्लंघनों के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) एफटी (डी एंड आर) अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। इकाई के प्रबंधक-वाणिज्यिक श्री सत्यपाल सिंह वर्मा को अनुमोदन समिति द्वारा अपनी बैठक के दौरान ही व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था ताकि इकाई द्वारा किए गए जॉब वर्क की शर्तों के कथित उल्लंघन के खिलाफ अपनी दलीलें, यदि कोई हो, रख सकें। उन्होंने दोहराया कि एक तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर, 2024 को छोड़कर सभी पिछली जॉब-वर्क खेपों का नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क के साथ मिलान किया गया है। उन्होंने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) अधिकारियों/अनुमोदन समिति द्वारा उनकी उपस्थिति को व्यक्तिगत सुनवाई के अनुदान के रूप में मानने के लिए अपनी सहमति दी और जॉब वर्क विवरणों के कथित गैर-मिलान के खिलाफ मामले के न्यायनिर्णयन का अनुरोध किया।

8.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद तथा इकाई के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण और मामले में वार्डपी-लीगल द्वारा दी गई कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) एफटी (डी एंड आर) अधिनियम के तहत मामले का फैसला करने का अधिकार दिया। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई को अक्टूबर-दिसंबर, 2024 की अवधि से संबंधित जॉब-वर्क लेनदेन के मूल्य और संख्या को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क के साथ विधिवत रूप से समेट कर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त